11-12- 13 पर राज्य के शहरों को मुख्यमंत्री का खास तोहफा, दीघा में बनेगा 170 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

राजधानी को पानी संकट से मिलेगी निजात

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 11- 12- 13 यानी तारीख के इस खास संयोग पर राजधानी पटना समेत राज्य के शहरों में स्थित मलीन बस्तियों को खास तोहफा दिया। उन्होंने इस अवसर पर पटना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समेत नगर विकास विभाग की 1400 करोड़ और पथ निर्माण विभाग की 2579 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरों में मौजूद मलीन बस्तियों के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की तर्ज पर सामूहिक विकास समिति (एसवीएस) का गठन किया जाएगा। इसकी प्रेरणा उन्हें सेवा यात्रा के दौरान कटिहार के एक मलीन बस्ती से मिली थी। जहां लोगों ने अपनी जमीन छोड़कर सड़क और नाली बनाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग मलीन बस्ती के विकास के लिए खुद आगे आएं। बस्ती के विकास के लिए खुद माइक्रो प्लानिंग करें। सरकार इसमें उनकी मदद करेगी। ठीक से यह काम किया जाए, तो किसी शहर में मलीन बस्ती नहीं रहेगी। शहरों को स्लम-मुक्त बनाना सरकार का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने वार्ड पार्षदों से कहा कि गरीबों की सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। गरीब मौसमी हवा की तरह नहीं हैं, जो समय के साथ बदल जाएं। इन्हें बस थोड़ा समय लगता है विश्वास करने में। उन्होंने कहा कि एक बार गरीबों का विश्वास आप (पार्षदों) पर हो गया, तो वह सीट आपके लिए 'सुरक्षित' हो जाएगी। सरकार नगर निकायों को हर सहायता देगी। उन्होंने कहा कि मलीन बस्ती के विकास के लिए नगर निकायों में ऐसी योजनाएं तैयार की जाएगी।

शहरों में विकसित हो पाएगी टाउनशिप

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में टाउनशिप विकसित करने के लिए सरकार ने कानून तैयार कर लिया है। इसके तहत कोई निजी डेवलपर कुछ तय मानकों का पालन करके टाउनशिप विकसित कर सकता है। टाउनशिप में जमीन मालिकों की इच्छा के अनुरूप ही जमीन ली जाएगी। कुल जमीन का 10 फीसदी हिस्सा उनके पास रहेगा। ताकि टाउनशिप विकसित होने के साथ ही इसकी कीमत बढ़ेगी, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा।

चाहते हैं नगर और पंचायत सरकार बने

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर और पंचायत निकाय संवैधानिक संस्थाएं हैं। उनकी अवधारणा है कि ये नगर और पंचायत सरकार की तर्ज पर काम करें। इनके निर्वाचित अध्यक्ष प्रमुख माता-पिता की तरह गार्जियन के रूप में अपने लोगों की देखभाल करें।

बुधवार को मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभागार में पथ निर्माण विभाग एवं नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में हैं प्रधान सचिव अशोक कुमार सिन्हा व अन्य।

भावी योजनाएं

- सीवरेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट के लिए 574 करोड़ की मंजूरी
- 2013 करोड़ की लागत से अंतर राज्य बस टर्मिनल
- जवाहरलाल शहरी विकास योजना के तहत 300 बसों की खरीद
- शहर में गंगा रिवर फ्रंट के दूसरे हिस्से का विकास करने के लिए मांगी गई मंजूरी
- गंगा रिवर फ्रंट के पहले फेज का काम जनवरी 2014 से हो जाएगा शुरू

2014 की योजनाएं

- भागलपुर में एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से जलापूर्ति योजना जनवरी 2014 से होगी शुरू
- गया में जलापूर्ति और सीवरेज ट्रीटमेंट योजना होगी शुरू

तारीखों के संयोग और पहल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 11.12.2013 के संयोग पर खास पहल की। इस बेहद खास तारीख को खास बनाने के लिए ही उन्होंने दो विभागों की कुल 3979 करोड़ की योजना की शुरुआत की है। इससे पहले 11.11.2011 को सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने 11 भ्रष्ट लोकसेवकों पर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी थी। इसी तरह 12.12.2012 को 1200 करोड़ की जनकल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की थी।

शुरू की नई योजनाएं

- शहरों में मलिन बस्तियों में 581 करोड़ की लागत से 20721 आवासों का निर्माण होगा
- 28 शहरों में 312 करोड़ की लागत से 1402 मलीन बस्तियों का विकास किया जाएगा

सड़क में गड़बड़ी नहीं है न?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग की रोड मेंटेनेंस पॉलिसी की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अररिया के कार्यपालक अभियंता से बात की। उन्होंने कहा कि अररिया के कार्यपालक अभियंता सुन रहे हैं, न। दूसरी तरफ से आवाज आई -जी, सर सुन रहा हूं। अभियंता ने कहा सर, कनेक्शन में गड़बड़ी थी, सर। तब सीएम ने कहा, कनेक्शन में गड़बड़ी है, सड़क में नहीं न।

बिल्डिंग बायलाज वेबसाइट पर जल्द होगा शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नई बिल्डिंग बायलाज को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे 1-2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद लोगों के विचार इस पर लिए जाएंगे। प्राप्त विचारों के आधार पर इसमें जरूरी संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद इस कानून को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग मकान बना लेते हैं, रास्ता नहीं होता। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में इन वजहों से ज्यादा हताहत होते हैं। ग्रीन बिल्डिंग, वाटर हार्वेस्टिंग समेत ऐसी तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह नया कानून बनाया गया है।

पटना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट

राजधानी को पीने के पानी के संकट से निजात मिलेगी। 170 करोड़ की लागत से दीघा में तैयार होगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। गंगा के पानी का ट्रीटमेंट कर इसे पूरे शहर में सप्लाई किया जाएगा। 220 एमएलडी पानी को शुद्ध करने की होगी इसकी क्षमता।

JetScreenshot